आपके अधिकारों की व्याख्या

यदि आपको कभी भी यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट या एक एपीबी (APB) (आल पोर्ट बुलेटिन) के अधीन **नजरबंद** किया गया है

साक्षात्कार शुरू होने से पहले आप को किन अधिकारों के बारे में बताया जाना चाहिए?

1. किसी सॉलिसिटर के साथ गोपनीय परामर्श, और साक्षात्कार के दौरान सहायता का अधिकार

A. सॉलिसिटर

— आप अपने पसंद के सॉलिसिटर से संपर्क कर सकते हैं।

— यदि आपके पास सॉलिसिटर नहीं है या यदि वह आने से रोका जा रहा है या रोकी जा रही है, तो आप ड्यूटी सॉलिसिटर के बार असोसिएशन पूल से सॉलिसिटर से संपर्क के लिए कह सकते हैं।

— यदि आप अनिवार्य विधिक शर्तों को पूरा करते हैं, तो यह विधिक सहायता पूर्णतया या आंशिक रूप से पूरी तरह निःशुल्क है। आप प्रपत्र के लिए पूछ सकते हैं जो क़ानूनी सहायता के लिए शर्तों के बारे में बताता है।

B. अग्रिम रूप से गोपनीय परामर्श

— सॉलिसिटर अथवा ड्यूटी सॉलिसिटर के बार असोसिएशन पूल के साथ संपर्क होने के 2 घंटों के भीतर, आपको अपने सॉलिसिटर के साथ अगले साक्षात्कार से पहले अधिकम 30 मिनट के लिए गोपनीय परामर्श करने का अधिकार है, जो साक्षात्कारकर्ता के निर्णय से एक असाधारण आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

— यह परामर्श दोनों दूरभाष अथवा साक्षात्कार के स्थान पर पर हो सकता है।

— यदि 2 घंटों के अंदर आपका सॉलिसिटर के साथ अनुसूचित परामर्श नहीं हो पता है, तो दूरभाष के ऊपर ड्यूटी सॉलिसिटर के बार असोसिएशन पूल के साथ गोपनीय परामर्श अब भी संभव होगा। इसके बाद, साक्षात्कार शरू हो सकता है।

— यदि आपका सॉलिसिटर साक्षात्कार के दौरान पहुंचता है, तो वह शेष साक्षात्कार के लिए उपस्थित रह सकता है या रह सकती है।

C. साक्षात्कार के दौरान क़ानूनी सहायता

— आपको साक्षात्कार के समय अपने सॉलिसिटर की सहायता लेने का आधिकार है।

— आपका सॉलिसिटर सुनिश्चित करेगा:

- कि आपके मूक रहने के अधिकार और स्वयं को आरोपित न करने के अधिकार का सम्मान किया गया है;
- साक्षात्कार के दौरान आपसे जैसा व्यवहार किया गया है, आपके ऊपर कोई मजबूरी या अवैध दवाब नहीं डाला गया है;
- कि आपको आपके अधिकारों के बारे में सूचित किया गया है और साक्षात्कार की विधि के बारे में बताया गया है।

यदि इस सबंधी आपके सॉलिसिटर की कोई टिप्पणियाँ है, तो वह इसे तुरंत पुलिस साक्षात्कार बयान में रिकार्ड करवा सकता है।

आपका सॉलिसिटर पूछे जा रहे सवालों के बारे में स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है। उसे आपकी जगह में जवाब देने या साक्षात्कार में बाधा डालने की अनुमति नहीं है।

— आपको या आपके सॉलिसिटर को किसी एक अतिरिक्त गोपनीय परामर्श के लिए, साक्षात्कार को केवल एक अवसर पर अवरोध करने का अधिकार है।

यदि साक्षात्कार के दौरान नए तथ्य उभरते हैं, तो आप अपने सॉलिसिटर से अतिरिक्त गोपनीय परामर्श ले सकते हैं। यह परामर्श 15 मिनट से अधिक नहीं चल सकता है।

D. अधित्याग

आप सॉलिसिटर के साथ परामर्श करने या उसकी सहायता के लिए अनुरोध करने हेतु बाध्य नहीं हैं।

आप स्वेछा से तथा गम्भीरता से विचार करने के पश्चात इस अधिकार का अधित्यज्न कर सकते हैं, यदि आप:
— व्यस्क हैं;
— एक बार जब आप इस आशय के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर दें तथा दिनांक डाल दें।
— यदि संभव हो, साक्षात्कार को फिल्माया जा सकता है। आप इसके बारे में अपने सॉलिसिटर से चर्चा कर सकते हैं (बिंदु 7 भी देखें)।

इन मामलों में, आप बार एसोसिएशन के ड्यूटी वकीलों के पूल में से किसी से टेलीफ़ोन नंबर पर बात कर सकते हैं।

E. अपवाद

अपवादात्मक शर्तों या अप्रतिरोध्य कारणों की घटना होने पर, लोक अभियोजनों का निदेशक तथा परीक्षण मजिस्ट्रेट आपको अग्रिम रूप में गोपनीय परामर्श अथवा साक्षात्कार के दौरान किसी सॉलिसिटर से सहायता का अधिकार नहीं प्रदान करने का निर्णय कर सकता है। उसे इस निर्णय को अवश्य न्यायसंगत करना चाहिए।

F. यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले देश में सॉलिसिटर के अधिकार

आप को यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाले देश में सॉलिसिटर नियुक्त करने का अधिकार है। यह सॉलिसिटर आपके सॉलिसिटर को बेल्जियम में प्रत्यर्पण प्रक्रिया के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान कर सकता है।

2. यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट या एपीबी (APB) से संबंधित जानकारी

— आपको यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट या एपीबी (APB) के अर्थ के बारे में जानआकारी प्राप्त करने अधिकार है।

— यदि आपका प्रत्यर्पण सज़ा देने के उद्देश्य से किया गया है और आपको इस सज़ा के बारे में या लंबित आपराधिक कार्यवाही के बारे में ज्ञान नहीं था तो आप विदेश में अपराध सिद्ध होने के प्रतिलिपि अपनी जानकारी प्रदान करने के ली निवेदन कर सकते हैं और इसे समय पर उपलब्ध करवाने का निवेदन कर सकते हैं।

3. मूक रहने का अधिकार

— किसी भी स्थिति में आप स्वयं को दोषी ठहराने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
— अपनी पहचान प्रकट करने के बाद, आप वक्तव्य देना, प्रश्नों के ऊतर दें या मूक रहना चुन सकते हैं।

4. किसी को यह बताना कि आप गिरफ्तार हो गए हैं

आपको किसी तीसरे पक्ष को अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार है।

तथापि, परीक्षण मजिस्ट्रेट या सार्वजानिक अभियोक्ता द्वारा अप्रतिरोध्य आधार पर जाँच के लिए आवश्यक समय के लिए इस को टाला जा सकता है।

5. चिकित्सीय सहायता

— आपको नि:शुल्क चिकित्सीय सहायता लेने का अधिकार है, यदि आवश्यक हो।
— आप अपनी जाँच करवाने के लिए अपनी पसंद के किसी चिकित्सक को भी कह सकते हैं। ऐसी जाँच आपके खर्च पर होगी।

साक्षात्कार के दौरान आपके अतिरिक्त अधिकार क्या हैं?

6. साक्षात्कार के दौरान अन्य अधिकार

साक्षात्कार कई प्रकार की बातचीत से शुरू होता है। तथ्यों के बारे में संक्षिप्त सूचना तथा मूक रहने के अधिकार के अतिरिक्त, आपको कहा जाएगा कि:

— आप अनुरोध कर सकते हैं कि सभी पूछे प्रश्न तथा उनके ऊतर जो आपने दिए हैं उन्हें वैसे ही दर्ज किया जाए जैसे वह दिए गए हैं;
— आप विशिष्ट जाँच करने या किसी विशिष्ट व्यक्ति से साक्षात्कार करने के लिए कह सकते हैं;
— आपके बयान न्यायलय के समक्ष साक्ष्य में उपयोग किए जा सकते हैं।
— साक्षात्कार के दौरान, आप तब तक अपने दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं, जब तक वह साक्षात्कार में देरी का कारण नहीं बनते हैं। आप साक्षात्कार के दौरान या बाद में, आप इस दस्तावेजों को पुलिस साक्षात्कार बयान में सलंग्न करने या न्यायलय रजिस्ट्री के पास जमा किए जाने के लिए कह सकते हैं।

7. साक्षात्कार को फिल्माना

— यदि संभव हो तो, साक्षात्कार को साक्षात्कार कार्यवाही की निगरानी के लिए फिल्माया जा सकता है।
— यह साक्षात्कारकर्ता, सार्वजनिक अभियोजक या परीक्षण मजिस्ट्रेट का निर्णय है।

8. साक्षात्कार के अंत में

साक्षात्कार के अंत में, आपको साक्षात्कार का पाठ्य पढने के लिए दिए जाएगा। आप इसे अपने लिए पढ़ कर सुनाने के लिए भी कह सकते हैं।

आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आप अपने बयान में कोई भी परिवर्तन या स्पष्टीकरण करवाना चाहेंगे।

9. दुभाषिए की सहायता

— यदि आप भाषा को समझते या बोलते नहीं हैं, या यदि आपको सुनने या बोलने में बाधा है तथा आपका सॉलिसिटर आपकी भाषा को समझता या बोलता नहीं है, आप अपने सॉलिसिटर के साथ गोपनीय परामर्श के दौरान एक शपथबद्ध दुभाषिया प्राप्त करने के हकदार हैं. यह सहायता नि:शुल्क है।
— यदि आप ऐसी भाषा बोलना चाहते हैं जो कार्यवाही की भाषा से अलग है, तो एक शपथबद्ध दुभाषिया साक्षात्कार के दौरान आप की सहायता के लिए बुलाया जाएगा। यह सहायता नि: शुल्क है।
— आपको अपना बयान अपनी भाषा में लिखने के लिए कहा जाएगा।

10. प्रत्यर्पण के लिए सहमति

आप अपनी पसंद के देश में अपने प्रत्यर्पण के लिए सहमत हो सकते हैं। आप यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट में निर्दिष्ट अपराधों के लिए आपकी सहमति को सीमित कर सकते हैं। आप विशेषता नियम को छोड़ सकते हैं, जिसका मतलब है कि, आप के प्रत्यर्पण के बाद, आप पर मुकदमा चलाया जाएगा या प्रत्यर्पण के समय निवेदन करते समय लगाए गए अपराधों के अलावा अन्य अपराधों के लिए सज़ा देने के हिस्से के रूप में कैद हो सकती है।

यदि आप परीक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा साक्षात्कार लेने के बाद, यदि आप प्रत्यर्पण के लिए सहमत होना चाहते हैं, तो सार्वजानिक अभियोक्ता आपकी सुनवाई करेगा। सार्वजानिक अभियोक्ता निहितार्थ ई व्याख्या करेगा। आपका सॉलिसिटर आपकी सहायता करेगा। आप केवल सार्वजानिक अभियोक्ता के सामने प्रत्यर्पण के लिए सहमत हो सकते हैं।

एक बार क़ानूनी रूप से प्रत्यर्पण के लिए सहमत होने के बाद, आप अपने प्रत्यर्पण को वापिस नहीं ले सकते हैं।

आपके अधिकारों की व्याख्या

यदि आपको कभी भी यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट या एक एपीबी (APB) (आल पोर्ट बुलेटिन) के अधीन **नजरबंद** किया गया है

आप को कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है?

1. 48 घंटे

आप को अधिकतम 48 घंटे के लिए हिरासत में रखा जा सकता है।

2. परीक्षण मजिस्ट्रेट

— 48 घटों के भीतर या तो आपको मुक्त कर दिया जाएगा या परीक्षण मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बाद वाला यह निर्णय करेगा कि आपको यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट अनुसार नजरबंद किया जाना चाहिए या नहीं।

— परीक्षण मजिस्ट्रेट पहल के आधार पर आपके मामले की सुनवाई करने के लिए ज़िम्मेदार है। आप अपने सॉलिसिटर से सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। परीक्षण मजिस्ट्रेट आपकी संभव हिरासत के बारे में आप के या आपके सॉलिसिटर द्वारा प्रस्तुत किए विचार सुनेगा।

आप सॉलिसिटर से सहायता लेने के अपने अधिकार का अधित्य्न्जन कर सकते हैं केवल तभी जब आप व्यस्क हैं।

— यदि परीक्षण मजिस्ट्रेट आपकी गिरफ्तारी जा वारंट जारी करता है, तो आपको निम्नलिखित अधिकार होंगे:

- आप अपने सॉलिसिटर से मुक्त रूप से संपर्क कर सकते हैं।
- आपको हिरासत में लेने के बार 15 दिनों के अंदर आपको आत्मसमर्पण चैबर के सामने प्रस्तुतु होना चाहिए, जहां पर आप यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट के अधीन अपनी हिरासत औत प्रत्यर्पण को चुनौती दे सकते हैं। आप इस निर्णय के विरुद्‌ध अभियोग चैंबर में अपील कर सकते हैं, जो अपना निर्णय 15 दिनों के अंदर देगी। आत्मसमर्पण चैबर का निर्णय आपको मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अपील करनी चाहिए।
- आत्मसमर्पण चैंबर या अभियोग चैंबर द्‌वारा सुनवाई से एक दिन पहले आपको अपनी केस फ़ाइल देखने की अनुमति होगी।
- आपका सॉलिसिटर इस प्रक्रिया के बारे में अधिक विवरण के साथ व्याख्या कर सकता है।
- यदि आप बेल्जियम के नागरिक नहीं हैं, तो आप अपनी गिरफ्तारी के बारे में अपने देश के अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं।
- यदि आप यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट की भः को नहीं समझते हैं, या जिस भाषा में इसका अनुवाद किया गया है, तो आपको समझ आने वाली भाषा में यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट का लिखित अनुवाद दिया जाएगा, या यूरोपीय गिरफ्तारी वारंट का मौखिक अनुवाद या आवश्यक प्रक्रियात्मक रिकॉर्ड का मौखिक अनुवाद आत्मसमर्पण चैंबर के सामने प्रस्तुत होने से पहले दिया जाएगा और सज़ा देने के सबंध में अंतिम निर्णय आने पहले दिया जाएगा।

आप अपने अधिकारों की व्याख्या रख सकते हैं।